

2/11/19.

तारीख रजु.....

गोपाल

बनाम

गोदा वगैरा

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
------	------------------------------------	---

9	<p>वकील प्रार्थीया उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थीया ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद में वकील सायला ने शपथ पत्र, नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया। वकील सायला को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायला के पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जर्ज अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जवाब पेश होने तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख न 1160, 1165, 1169, 1219, 1322, 1574, 1575, बाके ग्राम खौखर तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिती वनाये रखे करे ।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बावत् कोई उज्र हो तो दिनांक 31.10.2019 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 31.10.2019 को वास्ते तलवी अप्रार्थीगण पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)</p> <p>पत्रावली आज मूल वाद के साथ जज के पास पेश की। मूल वाद के साथ जज ने 50 पत्र पर अपरिज फटा किया है। अतः 50 पत्र पलाने का कंडे ऑफिसर बंधी करे। 500 पत्र की धरती उ 500 पत्र के काल पर खरीदज किया जाते है। पत्रावली में मूल हुक्म देना मूल ले मूल के मूल वाद के साथ जज के पास</p> <p style="text-align: right;">बनाम /</p>	<p>714 3/10/19</p> <p>गोपाल शर्मा</p> <p>वा.</p>
---	--	--